Government of Rajasthan
Rural Development Department,
SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARANCY (SSAAT), JAIPUR
(E mail : DIR.SOCIAL.AUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227725

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III/4178 Jaipur, Dated:- 29/11/21

(आदेश सं. 60/2021)

जिला कलेक्टर,
समस्त जिला
(दौसा, करोली, झालावाड, धौलपुर
एवं सवाई माधोपुर को छोडकर)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत लोकपाल हेतु साक्षात्कार बाबत।
संदर्भः– समसंख्यक पत्र 4140 दिनांक 24.11.2021

आयुक्त मनरेगा योजना की विज्ञप्ति संख्या F. No. 60 (10) RD/NREGA /LOKPAL/2020-21/III Jaipur, दिनांक 23.12.2020 द्वारा 28 जिलों के लिए लोकपाल पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस विज्ञप्ति के क्रम में विभिन्न जिलों से उनके कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्र संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, EGS की ओर से परीक्षण उपरांत महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में अग्रेषित होकर प्राप्त हुए हैं।

इन आवेदकों के साक्षात्कार श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में गठित लोकपाल चयन समिति द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लिए जाने का निर्णय किया गया है जिसका संभागवार/तिथिवार वीडियो कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम एवं सभी जिलों के पात्र आवेदकों की संख्या का विवरण भिजवाया गया था।

आज दिनांक 29.11.2021 को सभी जिलो के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं साक्षात्कार व्यवस्था संबंधी अधिकारियों से हुए विचार विमर्श के अनुरूप सभी संबंधित को निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. लोकपाल आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 28.01.2021 तक आवेदन पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को प्राप्त होने पर उनके द्वारा आयुक्त मनरेगा को भिजवायें जाने की अंतिम तिथी 10.2.2021 के पश्चात भिजवाये गये आवेदन पत्रों को भी साक्षात्कार के लिए पात्र माना गया है क्योंकि इस प्रक्रियात्मक देरी के लिए आवेदक उत्तरदायी नहीं हैं। अतः आप कृपया यह सुनिश्चित करलें कि आपके जिले में दिनांक 28.01.2021 तक प्राप्त सभी पात्र आवेदकों को साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो गया है।

क्रमशः...2

इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि आप द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्रों में से कुछ लोगों को उनकी जिलो की प्राथमिकता के आधार पर अन्य जिले की साक्षात्कार की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है और इसी प्रकार किसी अन्य जिले का आवेदक आपके जिले की सूची में भी प्रदर्शित हो सकता है।

2. समस्त जिलों के साक्षात्कार लिये जाने वाले आवेदकों की सूची आपको ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए सूचना भिजवाई जा चुकी है, तथापि कोई आवेदक सूचना के अभाव में साक्षात्कार से वंचित नहीं रह जावें एतदर्थ आप सभी लोगों को दूरभाष पर भी सूचित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

(के० के० पाठक)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III 14178-85 Jaipur, Dated:- 29/11/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान, पैट्रोलियम एवं ऊर्जा विभाग सह–अध्यक्ष लोकपाल चयन समिति राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह–सदस्य सचिव, लोकपाल चयन समिति।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नेरगा
5. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस. जिला परिषद समस्त जिला (दौसा, करोली, झालावाड़, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर को छोडकर) को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, (SSAAT)